न्यायालयः उपखण्ड अधिकारी उदयपुरवाटी जिला झुन्झुनूं

पीठासीन अधिकारी :— श्री रामसिंह राजावत (आर.ए.एस.)
मुकदमा संख्याः— 31 / 2022
जी सी एम एस न0 2022 / 801

दर्ज दिनांक 02.09.2022
निर्णय दिनांकः— 12.04.2023

श्रीमती सन्तोष शर्मा पत्नी विष्णुप्रसाद शर्मा जाति ब्राह्मण निवासी गुढ़ागौड़जी तहसील गुढ़ागौड़जी जिला झुन्झुनूं।

प्रार्थी

बनाम

1. नरेन्द्र सिंह पुत्र छगनसिंह जाति राजपूत निवासी गुढ़ागौड़जी तहसील गुढ़ागौड़जी जिला झुन्झुनूं। राज.।
2. तहसीलदार तहसील गुढ़ागौड़जी जिला झुन्झुनूं।

अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 110, 128 भू राजस्व अधिनियम बाबत् पत्थरगढी

निर्णय

निर्णय दिनांकः— 12.04.2023

प्रार्थीगण ने जरिये अधिवक्ता प्रार्थना इस आशय का पेश किया है कि ग्राम गुढ़ागौड़जी पटवार हल्का गुढ़ागौड़जी की सरहद में प्रार्थिया की खातेदारी भूमि खसरा न. 3278 / 1716 रकबा 1.1200 कुल किता 1 कुल रकबा 1.1200 है0 अवस्थित है जिसकी प्रार्थिया भी खातेदार है उक्त भूमि का सीमाज्ञान दिनांक 28.05.2022 को पटवारी हल्का गुढ़ागौड़जी ने मौके पर जाकर सीमाज्ञान किया तथा फर्द सीमाज्ञान तैयार किया था। अतः प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि फर्द सीमाज्ञान दिनांक 28.05.2022 के अनुसार ग्राम गुढ़ागौड़जी पटवार हल्का गुढ़ागौड़जी की सरहद में प्रार्थी की खातेदारी भूमि खसरा न. 3278 / 1716 रकबा 1.1200 है0 कुल किता 1 कुल रकबा 1.1200 है0 का मौके पर पत्थरगढ़ी के आदेश प्रदान किया जाना प्रार्थनीय है। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर होकर तलवी वास्ते जबाबदेही दी गई।

अप्रार्थी संख्या 1 ने जरिये वकील सहमति पत्र पेश किया। अप्रार्थी संख्या 2 बावजूद तामील हाजिर नहीं अतः इनके विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई।

बहस प्रार्थना पत्र श्रवण की गई। बहस के दौरान अधिवक्ता प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराया तथा कथन किया कि प्रार्थना पत्र में वर्णित भूमि में सीमाज्ञान दिनांक 28.05.2022 के अनुसार ग्राम गुढ़ागौड़जी पटवार हल्का गुढ़ागौड़जी की सरहद में प्रार्थी की खातेदारी भूमि खसरा न. 3278 / 1716 रकबा 1.1200 है0 कुल किता 1 कुल रकबा 1.1200 है0 का मौके पर पत्थरगढ़ी के आदेश फरमाया जाना प्रार्थनीय है।

पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया तथा बहस पर मनन किया गया। राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी के अनुसार ग्राम गुढ़ागौड़जी पटवार हल्का गुढ़ागौड़जी में प्रार्थी की खातेदारी भूमि खसरा न. 3278 / 1716 रकबा 1.1200 है0 भूमि अवस्थित है जो प्रार्थीया की खातेदारी की भूमि है अतः प्रार्थीया उक्त खसरा नम्बर की पत्थरगडढी करवाने के अधिकारी है तथा इस बाबत् अप्रार्थी संख्या 1 ने पत्रावली में सहमति पत्र पेश किया है। ऐसी स्थिति में प्रार्थना पत्र पत्थरगढी करवाने को स्वीकार किया जाना उचित व न्यायोचित प्रतीत होता है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ram Singh Rajawat
Date: 2023.06.14 17:17:17 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
उदयपुरवाटी (झुन्झुनूं)

आदेश

प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र बाबत पत्थरगडढी स्वीकार किया जाता हैं तथा तहसीलदार गुढ़ागौड़जी को आदेशित किया जाता हैं कि फर्द सीमाज्ञान दिनांक 28.05.2022 के अनुसार ग्राम गुढ़ागौड़जी पटवार हल्का गुढ़ागौड़जी की सरहद में प्रार्थीया की खातेदारी भूमि खसरा न. 3278/1716 रकबा 1.1200 है0 में पक्षकारान की उपस्थिति में नियमानुसार शुल्क जमा कर सीमाचिन्ह यानी पत्थरगडी करवावे।

12/4/23

(रामसिंह राजावत)

उपखण्ड अधिकारी

उपखण्ड अधिकारी

उदयपुरवाटी (झुन्झुनूं)

निर्णय आज दिनांक 12.04.2023 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी उदयपुरवाटी (झुंझुनूं) सत्यमेव जयते

12/4/23

(रामसिंह राजावत)

उपखण्ड अधिकारी

उपखण्ड अधिकारी

उदयपुरवाटी

उदयपुरवाटी (झुन्झुनूं)

Signature Not Verified

Digitally signed by Ram Singh Rajawat
Date: 2023.06.14 17:17:17 IST
Reason: SelfAttested